राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना)

(तृतीय तल,उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2227011, 2227416 फैक्स नं. 2227723)

क्रमांक प.( ) ग्रा.वि./आरजीएवीपी/2012/10902-72 दिनांक: 12/10/2012

जिला परियोजना प्रबंधक
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना
समस्त

विषयः– RRLP क्षेत्र में गठित स्वयं सहायता समूहो को परियोजना के अधीन लाकर वित्तीय एवं तकनीकी सम्बल प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारो को समूहो में जोडकर आजीविका में सुधार एवं उन्नयन कर गरीबी रेखा से उपर उठाने हेतु विगत वर्षो में विभिन्न संस्थाओ द्वारा व्यापक प्रयास किये गये है। इसमे महिला बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नाबार्ड बैंक एवं गैर सरकारी संगठनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिषद द्वारा कियान्वित की जा रही राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना में विभिन्न संस्थाओ द्वारा विगत वर्षो में गठित स्वयं सहायता समूहो को अपने अधीन लाकर वित्तीय एवं तकनीकि सम्बल प्रदान करने का प्रावधान है।

ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य संस्थाओ यथा महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग(एस.जी.एस.वाई.) जलग्रहण विकास विभाग आदि द्वारा गरीब परिवारो को स्वयं सहायता समूहो मे जोडकर गरीबी से बाहर लाने हेतु काफी प्रयास किये गये है। परियोजना क्षेत्र में चल रहे इन समूहो को आगे बढाने हेतु परियोजना से वित्तीय एवं तकनीकि सम्बल देने का प्रावधान है। इसके तहत जिलेवार स्वयं सहायता समूहो के लक्ष्य जिन्हे परियोजना द्वारा सम्बल प्रदान किया जाएगा,निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिले का नाम	लक्ष्य
1.	दौसा	100
2.	धौलपुर	400
3.	राजसमंद	400
4.	भीलवाडा	200
5.	डूंगरपुर	200
6.	बांसवाडा	100
7.	शेष समस्त जिलों हेतु	100 प्रति जिला

उपरोक्त समूहो को परियोजना के दायरे में लाने हेतु निम्नलिखित मापदंड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

1. समूहों की पिछले 3 माह में लगभग 70% बैठके हुई है।
2. समूहों के सदस्य पिछले 3 माह से नियमित बचत करते है।
3. समूहों के सदस्य द्वारा बचत का लगभग 50% हिस्सा ऋण के रुप में सदस्यो ने लिया हो।
4. समूह का बैंक मे खाता है। यदि वर्तमान मे समूह का बैंक में खाता नही है तो साख दर्पण पर पंजीयन से पूर्व खाता खुला लिया है।
5. समूह पिछले 3 माह से पंचसूत्रो की पालना कर रहा है। परियोजना मे निम्नलिखित पंचसूत्र अपनाने का प्रावधान है।
   (1) नियमित साप्ताहिक बैठक
   (2) सदस्यो द्वारा नियमित बचत।
   (3) समूहो के सदस्यो द्वारा आंतरिक लेन–देन।
   (4) सदस्यो द्वारा ऋण का नियमित पुर्नभुगतान।
   (5) समूह द्वारा लेखो का नियमित संधारण।
6. समूह का साख दर्पण पर पंजीयन कर दिया गया है।
7. समूह ने परियोजना के अधीन आने एवं इसके प्रावधानो अनुसार चलने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है।
8. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह महिलाओं का हो तथा Community Operational Manual में यथावर्णित BPL(+) प्रावधान के अनुरूप हों।

कार्यक्रम कियान्वयन मे परिषद के कर्मियो की भूमिका निम्नानुसार होगी–

1. जिले के सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक परियोजना क्षेत्र मे समूह निर्माण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओ (SHPI) की पहचान कर उनसे पूरी जानकारी प्राप्त कर समूहो की सूची तैयार करेंगे।
2. समूहो के सदस्यो से चर्चा करने, लेखो का अवलोकन करने के लिए सम्बंधित गांवो का दौरा करेंगे।
3. समूहो के सदस्यो को परियोजना अधीन लाने हेतु प्रेरित कर समूहो की बैठक आयोजित कराएंगे।
4. परियोजना अन्तर्गत लाने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताए पूर्ण कर साख दर्पण पर पंजीयन करायेंगे।
5. परियोजना में उपलब्ध प्रावधान अनुसार प्रथम किश्त राशि रु.15000/– प्रति स्वयं सहायता समूह जारी करने हेतु प्राथमिकता योजना(Priority plan) तैयार करवायेंगे। इस योजना में यह ध्यान रखा जावे कि समूह के सभी सदस्यो को राशि का वितरण आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर हो।

6. सभी जिला परियोजना प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र मे उपस्थित सभी योग्य समूह को परियोजना के दायरे मे ले लिया गया है तथा चयनित किये गये सभी समूह परियोजना में उपलब्ध प्रावधानो एवं पंचसूत्र की पालना कर रहे है।
7. उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के श्री सुनील दत्तात्रेय, महाप्रबन्धक (रिसोर्स ब्लॉक) तथा श्रीमती अर्चना जानू, महाप्रबन्धक (लाईवलीहुड) नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। यह अधिकारी समूहों को परियोजना अधीन लाने हेतू समस्त कार्य कियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. उपरोक्त कार्य 15 नवम्बर 2012 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(पी.सी.किशन)
स्टेट मिशन डायरेक्टर

क. पं. ( )ग्रा.वि/RGAVP/2012/10902-72 दिनांक 12/10/2012

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव,अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव,सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर .....
4. मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिला परिषद .....
5. परियोजना निदेशक (लाइवलीहुड/एसजीएसवाई) मुख्यालय,जयपुर।
6. महाप्रबंधक मुख्यालय समस्त।
7. प्रबंधक मुख्यालय समस्त।

स्टेट मिशन डायरेक्टर